(घ) क्या यह भी सच है कि तैयार चमड़े का निर्यात करने की अनुमति है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार घरेलू आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए चमड़े के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने और चमड़े से बनी वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए कतिपय सुविधाओं की घोषणा करने का विचार रखती है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) घरेलू उत्पादन की तुलना में देश में चमड़े के उत्पादों की खपत से सम्बन्धित कोई विश्वसनीय प्राक्कलन उपलब्ध नहीं है।

(घ) जी, हां।

(ङ) जी, नहीं। तैयार चमड़े के निर्यात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

चमड़े के उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कई संवर्धनात्मक उपाय किए है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल है:

(1) चमड़े की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए अपरिष्कृत, अर्ध-तैयार या तैयार रूप में चमड़े का निःशुल्क आयात;

(2) अन्य कच्चे माल, उपभोक्ता वस्तुओं, सहायक सामग्री, रसायनों और पूंजीगत माल का रियायती शुल्कों पर आयात,

(3) डिजाइन और विकास कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाना,

(4) देश में तथा देश के बाहर जनशक्ति प्रशिक्षण में वृद्धि करना,

(5) औद्योगिक एस्टेट स्थापित करना तथा जन-सुविधा केन्द्र बढ़ाना, और

(6) भारतीय चमड़ा उत्पादों की क्वालिटी में सुधार करना तथा उन्हें विश्व बाजार में और अधिक प्रतियोगी बनाना।

15 Point programme for the Welfare of Minorities in the Ministry of Commerce

3372. SHRI MOHAMMED AFZAL *ALIAS* MEEM AFZAL: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether there is any committee in his Ministry for monitoring implementation of the 15-point programme for the welfare of the minorities; and

(b) if so, what are the details with regard to such committee in the Ministry and the number of persons who have been provided with employment during the past three years under the programme?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBRAM): (a) No, Sir.

(b) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Needs of Money to Administer IPRS.

3373. SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government need crores of rupees every year to administer the International Price Reimbursement Scheme (IPRS) for Steel, engineering industry and 100 per cent Export Oriented Units (EOUs);

(b) if so, what is the total financial amounts needed under this Scheme for the year 1990-91 and 1991-92; and

(c) in which manner this expense is to be met by Government?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (c) The international Price Reimbursement Scheme for Steel reimburses to exporters of engineering goods the difference between international and domestic price of steel raw material used in export production. Such reimbursements are essentially made from amount collected under the Engineering Goods Exports Assistance Fund constituted from cess levied on saleable pig iron and steel produced by the main producers of steel, like Steel Authority of India Ltd., Tata Iron & Steel Company and India Iron & Steel Company. The total amount of reimbursement made during the year 1990-91 was Rs. 277 crores and during 1991-92 (April 91-January 92) was Rs. 203 crores.

भारत नेपाल व्यापार सम्बन्ध

3374. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नेपाल के साथ व्यापार-सम्बन्ध स्थापित करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजन के लिए कौन-कौन से नए क्षेत्रों